तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
08/01/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं० 01 की तलबी हो चुकी है। पेशकार सरकार नायब तहसीलदार बांदीकुई उपस्थित। इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी वकील एवं पेशकार सरकार द्वारा मूल प्रा०पत्र पर बहस की गयी। बहस पर मनन किया। बहस [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः बहस [illegible] एवं पत्रावली के अवलोकन उभयपक्ष पर मनन करने के आधार पर प्रार्थी प्रा०पत्र अंतर्गत धारा 128 रा०रे०स० [illegible] स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर [illegible] 8/1/2[illegible] उपखण्ड अधि[illegible] बांदीकुई

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH-01420-228487

प्रकरण संख्या :—79 / 2025
प्रकरण दायर दिनांकः— 01.07.2025
प्रकरण निर्णय दिनांकः—08.01.2026

उनवान

1. विश्राम पुत्र डालचंद जाति बैरवा निवासी कठनाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान

बनाम

1. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बॉंदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128रा० लै० रे० एक्ट, स्थाई सीमा चिन्ह(पत्थरगढी)

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा० लै० रे० एक्ट इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 98 पुराना 50 खसरा नम्बर 34 / 421 रकबा 0.89 हैक्टे, कुल किता 01 कुल रकबा 0.89 हैक्टेयर वाके ग्राम कठानाडी पटवार हल्का रलावता तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि वर्णित चरण नम्बर 01 प्रार्थना पत्र के भूमि खाता संख्या नया 98 पुराना 50 खसरा नम्बर 34 / 421 रकबा 0.89 हैक्टेयर भूमि से लगते हुए पडौसी खातेदारान द्वारा भूमि की बुवाई व जुताई के समय व डौल पाल बांधते समय भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न किया जाता रहा है तथा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि से अन्य पडौसी खातेदारान की भूमि मिली हुई होने के कारण पडौसी खातेदारान प्रार्थी संस्था की भूमि की सीमाओं को लेकर आये दिन झगडा फसाद कर हैरान परेशान करते है। पडौसी खातेदारान के द्वारा प्रार्थी की भूमि की सीमाओं को लेकर किये जाने विवाद को समाप्त करने के लिए प्रार्थी ने अपनी भूमि की सीमाओं के सीमाज्ञान के लिए प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार महोदय बांदीकुई के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 09/05/2025 को श्रीमान तहसीलदार महोदय बांदीकुई के आदेश क्रमांक भू.अ./2025/1309 दिनांक 09/05/2025 की पालना में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 34/421 रकबा 0.89 हैक्टेयर का सीमाज्ञान राजस्व कर्मचारी एंव अधिकारियों द्वारा मौके पर प्रार्थी व अन्य पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में किया गया व मौके पर प्रार्थी संस्था की भूमि के सीमा चिन्ह कायम किये गये लेकिन पडौसी खातेदारान ने राजस्व कर्मचारियों द्वारा अंकित किये गये सीमा चिन्हों को मौके से हटा दिया तथा लगातार सीमा चिन्हों का उलंघन कर रहे है एंव तारबन्दी भी नहीं करने दे रहे है तथा मना करने पर लडाई झगडे पर आमादा हो जाते है ऐसी सूरत में पक्षकारान की आराजीयात की सीमाओं के विवाद के स्थाई समाधान के लिये प्रार्थी संस्था की आराजीयात की पत्थरगढी किया जाना कानूनन न्यायोचित है। ऐसी सूरत में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 98 पुराना 50 खसरा नम्बर 34/421 रकबा 0.89 हैक्टे की राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा सीट अनुसार जरिये अप्रार्थी संख्या 01 मौके पर पत्थरी गढी की जाकर स्थाई चिन्ह स्थापित करवाया जाना न्यायोचित एंव लाजमी है। प्रार्थी ने अपनी आराजीयात का सीमाज्ञान करवा रखा है जो तहसीलदार बांदीकुई के आदेश की पालना में राजस्व कर्मचारीयों व अधिकारियो ने पक्षकारान की मौजूदगी में सीमाज्ञान मौके पर किया नकल मौका पर्चा सीमाज्ञान संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

भूमि वर्णित चरण नम्बर 01 प्रार्थना पत्र स्थित वाके ग्राम कठानाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा की सीमाओं को लेकर पडौसी खातेदार अकारण ही विवाद करते रहते है प्रार्थी द्वारा भूमि का सीमाज्ञान कराये जाने के बावजूद भी पडौसी खातेदार मौके पर विवाद कर रहे है तथा प्रार्थी को तारबन्दी भी नहीं करने दे रहे है। इस कारण प्रार्थी को माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी पेश करना लाजमी हुआ है ताकि प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमाओं का स्थाई समाधान हो सके। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से न्यायालय हाजा को प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 01 को आदेशित फरमाया जावे की वह स्वंय मौके पर प्रार्थी संस्था की खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 98 पुराना 50 खसरा नम्बर 34/421 रकबा 0.89 हैक्टे वाके ग्राम कठानाडी तहसील बांदीकुई की सीमाओं की अतिशीघ्र पत्थरगढी करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बांदीकुई उपस्थित। प्रकरण में बहस प्रार्थी वकील एवं पैरोकार सरकार सुनी गयी। प्रार्थी वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2075–78 ग्राम कठानाडी खाता सं. नया 98 पुराना 50 कुल किता 01 कुल रकबा 0.89 हैक्टे. फर्द मौका सीमाज्ञान ग्राम कठानाडी दिनांकः 09.05.2025 का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2075–78 ग्राम कठानाडी खाता सं. नया 98 पुराना 50 के प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। फर्द मौका सीमाज्ञान ग्राम कठानाडी दिनांकः 09.05.2025 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थीगण को एल.आर एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी, फर्द मौका सीमाज्ञान ग्राम कठानाडी दिनांकः 09.05.2025 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की भूमि खाता संख्या पुराना 98 नया 50 के आराजी खसरा नंबर 34/421 रकबा 0.89 हैक्टेयर वाके रामा कठानाडी तहसील बांदीकुई की मुताबिक फर्द मौका सीमाज्ञान ग्राम कठानाडी दिनांकः 09.05.2025 के विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बॉदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बॉदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

8/1/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner